

**राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण)
विधेयक, 2014**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कतिपय माल में उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए, जनसाधारण के हित में उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. लागू होना.- यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा,-

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं.10) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं;

(ख) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां ऐसे उद्योग के उत्पादों और ऐसे उत्पादों के रूप में उसी प्रकार के आयातित माल;

(ग) संसद् द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किये गये किसी उद्योग के उत्पाद;

(घ) ऐसे माल जिसके विनिर्माण, विक्रय, प्रदाय और वितरण के संबंध में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टियों के आधार पर संसद् को विधि के निर्माण की शक्ति हो।

3. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "कलक्टर" के अन्तर्गत अपर कलक्टर और ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो और जो इस अधिनियम के

अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाये;

- (ख) "घोषित माल" से धारा 4 के अधीन घोषित माल अभिप्रेत है;
- (ग) "माल" में समस्त चीजें, वस्तुएं और सामग्री सम्मिलित हैं;
- (घ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में अधिसूचित आदेश अभिप्रेत है;
- (ङ) "आदेश" के अन्तर्गत तदधीन जारी किया गया कोई निदेश भी है।

4. माल की घोषणा.- (1) राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाये कि लोकहित में और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक है, ऐसे माल की घोषणा कर सकेगी जिस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी और तदुपरान्त राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) की धारा 26क की उप-धारा (1) के उपबंध ऐसी अधिसूचना पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

5. घोषित माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां.- (1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी घोषित माल का प्रदाय बनाये रखने या उसे बढ़ाने के लिए या उसका साम्यापूर्ण वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तदधीन किये गये आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबंध किया जा सकेगा-

(क) किसी घोषित माल के उत्पादन या विनिर्माण का अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन;

(ख) किसी बंजर या कृष्य भूमि को, चाहे वह किसी भवन से अनुलग्न हो या न हो, उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अधीन लाना और सामान्यतः फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाये रखना या बढ़ाना;

(ग) ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा;

(घ) किसी घोषित माल के भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत का अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन;

(ड) सामान्यतः विक्रय के लिए रखे गये किसी घोषित माल को विक्रय से रोके रखने का प्रतिषेध;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी घोषित माल को स्टॉक में रखता है या उसके उत्पादन में या उसके क्रय या विक्रय के कारोबार में लगा हुआ है, यह अपेक्षा करना कि वह-

(i) उस सम्पूर्ण मात्रा या उसके विनिर्दिष्ट भाग का, जिसे वह स्टॉक में रखता है या जिसका उसने उत्पादन किया है या जिसे उसने प्राप्त किया है, या

(ii) किसी ऐसे माल की दशा में, जिसका वह सम्भवतः उत्पादन करेगा या जिसे यह सम्भवतः प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर उस संपूर्ण माल या उसके विनिर्दिष्ट भाग का, राज्य सरकार को या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में विक्रय करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें;

स्पष्टीकरण.- खाद्यान्नों या खाद्य तिलहनों के संबंध में इस खंड के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा, संबंधित क्षेत्र में ऐसे खाद्यान्नों और खाद्य तिलहनों के प्राक्कलित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा नियत की जा सकेगी, श्रेणी के आधार पर ऐसी मात्रा उत्पादकों द्वारा धारित या उनकी जोत के कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी नियत की जा सकेगी या उसके नियतन के लिए उपबंध किया जा सकेगा।

(छ) घोषित माल से सम्बद्ध ऐसे वर्ग के किन्हीं भी वाणिज्यिक या वित्तीय संव्यवहारों का विनियमन या प्रतिषेध जो कि आदेश करने वाले प्राधिकारी की राय में लोकहित के लिए हानिकर हैं या यदि अविनियमित रहे तो हानिकर हो सकते हैं;

(ज) पूर्वोक्त बातों में से किसी का विनियमन या प्रतिषेध करने की दृष्टि से किसी जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण;

(झ) किसी घोषित माल के उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा उसमें व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने कारबार से सम्बद्ध ऐसी पुस्तकें, लेखे और अभिलेख रखें और निरीक्षण के लिए पेश करें तथा उसके सम्बन्ध में ऐसी जानकारी दें जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ज) अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों या अन्य दस्तावेजों का दिया जाना या जारी किया जाना, उनके लिए फीसें लिया जाना, ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेज की शर्तों के सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि का, यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, जमा किया जाना, ऐसी जमा की गयी राशि या उसके किसी भाग का किन्हीं ऐसी शर्तों के उल्लंघन पर समपहरण तथा ऐसे समपहरण का ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, न्यायनिर्णयन;

(ट) कोई आनुषंगिक और अनुपूरक विषय, जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया परिसरों, विमानों, यानों अथवा अन्य प्रवहणों में प्रवेश तथा उनकी एवं पशुओं की तलाशी या परीक्षा और ऐसा प्रवेश, तलाशी या परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्य भी हैं-

(i) किन्हीं ऐसी चीजों का, जिनकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है और किन्हीं ऐसे पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों का जिनमें ऐसी चीजें पायी जायें, अभिग्रहण;

(ii) ऐसी चीजों को ले जाने में प्रयुक्त विमानों, जलयानों, यानों अथवा अन्य प्रवहणों या पशुओं का उस दशा में अभिग्रहण, जब ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा विमान, जलयान, यान या अन्य प्रवहण या पशु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समपहरणीय है;

(iii) किन्हीं ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों का अभिग्रहण, जो ऐसे व्यक्ति की राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों तथा वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उस अधिकारी की उपस्थिति में, जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा-पुस्तकें या दस्तावेज हैं, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने का हकदार होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति किसी घोषित माल का विक्रय उप-धारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये किसी आदेश के अनुपालन में करता है वहां उसके लिए उसे ऐसी कीमत दी जायेगी जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है:-

(क) जहां कीमत, इस धारा के अधीन नियत नियंत्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रह कर करार पायी जा सकती है वहां यह करार पायी गयी कीमत,

(ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता है वहां नियंत्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से संगणित कीमत,

(ग) जहां न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) लागू होता है वहां उस परिक्षेत्र में विक्रय की तारीख को अभिभावी बाजार दर पर संगणित कीमत।

(4) (i) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी घोषित माल में कीमतों के किसी परिक्षेत्र में चढ़ाव को नियंत्रित करने या उनमें जमाखोरी को निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह कीमत, जिस पर कि घोषित माल का विक्रय उस परिक्षेत्र में उप-धारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये आदेश के अनुपालन में किया जायेगा, इस उप-धारा के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी;

(ii) इस उप-धारा के अधीन जारी की गयी कोई अधिसूचना तीन मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये;

(iii) जहां इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के घोषित माल का, और ऐसे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में, विक्रय उप-धारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किये गये किसी आदेश के अनुपालन में करता है, वहां उसके लिए विक्रेता को निम्नलिखित कीमत दी जायेगी;

(क) जहां कीमत, इस धारा के अधीन नियत घोषित माल की नियंत्रित कीमत से, यदि कोई हो, संगत रह कर करार पायी जा सकती है वहां वह करार पायी गयी कीमत;

(ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहां नियंत्रित कीमत के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से संगणित कीमत;

(ग) जहां न तो खण्ड (क) और न खण्ड (ख) लागू होता है वहां खण्ड (iv) के अधीन अवधारित कीमत।

(iv) खण्ड (iii) के उप-खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए, बाजार कीमत, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माल की उत्पादन लागत, माल के उत्पादन के संबंध में संदत्त या संदेय कर या अन्य कानूनी उद्ग्रहणों और माल के उत्पादन में नियोजित पूंजी का युक्तियुक्त प्रत्यागम प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जायेगी।

(5) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी घोषित माल के उत्पादन और प्रदाय को बनाये रखने या बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जो इसके पश्चात् इसमें प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट है) उस घोषित माल के उत्पादन और प्रदाय में लगे हुए किसी ऐसे उपक्रम या उसके किसी भाग की बाबत, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, नियंत्रण के ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो उसमें उपबंधित किए जाएं और जब तक ऐसा आदेश, उपक्रम या उसके भाग की बाबत प्रवृत्त है,-

(क) जो भी आदेश प्राधिकृत नियंत्रक को राज्य सरकार द्वारा दिए जायें उनके अनुसार वह अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा किन्तु इस प्रकार कि उसे उपक्रम के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों के कृत्यों का अवधारण करने वाली किसी अधिनियमिति या किसी लिखत के उपबंधों से असंगत कोई निदेश वहां तक के सिवाय, जहां तक कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्टतया उपबंधित न हो, देने की शक्ति नहीं होगी; और

(ख) आदेश के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जो भी आदेश दिये जायें उनके अनुसार उपक्रम या उसके भाग को चलाया जायेगा और उपक्रम या भाग के संबंध में प्रबन्ध के किन्हीं भी कृत्यों से संबद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसे किन्हीं भी निदेशों का अनुपालन करेगा।

(6) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश, -

(क) सामान्य प्रकार के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश की दशा में, राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा; और

(ख) किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टि को विनिर्दिष्ट आदेश की दशा में, ऐसे व्यष्टि पर-

(i) उस व्यष्टि को देकर या देने के लिए प्रस्तुत करके तामील किया जायेगा; या

(ii) यदि वह इस प्रकार दिया या देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो तो उसे उस परिसर के, जिसमें वह व्यष्टि रहता है बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चस्पां करके तामील किया जायेगा और उसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जायेगी और पड़ौस में रहने वाले दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित की जायेगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राजस्थान राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) की धारा 26 क की उप-धारा (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

6. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि धारा 5 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना करने की शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जायें।

7. **अन्य अनियमितताओं से असंगत आदेशों का प्रभाव.-** धारा 5 के अधीन किया गया कोई आदेश, इस अधिनियम से भिन्न किसी राजस्थान अधिनियम में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

8. **घोषित माल का अधिहरण.-** (1) जहां कोई घोषित माल उसके संबंध में धारा 5 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिगृहीत किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अयुक्तियुक्त विलंब के बिना, उस जिले के कलक्टर को, जिसमें ऐसे घोषित माल का अभिग्रहण किया जाता है, को की जायेगी और चाहे ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए अभियोजन संस्थित किया जाता है या नहीं, यदि कलक्टर ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह इस प्रकार अभिगृहीत घोषित माल को अपने समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किए जाने का निदेश दे सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आदेश का उल्लंघन हुआ है तो वह-

- (क) ऐसे अभिगृहीत किए गए घोषित माल के;
- (ख) जिस पैकेज, आवेष्टक या पात्र में ऐसा घोषित माल पाया जाए उसके; और
- (ग) ऐसे घोषित माल को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण के;

अधिहरण का आदेश कर सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई खाद्यान्न, खाद्य, तिलहन, जो उनके संबंध में धारा 5 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिगृहीत किए गए हों, यदि अभिगृहीत खाद्यान्न या खाद्य तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किए गए हों, इस धारा के अधीन अधिहृत नहीं किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण की दशा में ऐसे पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किये जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाये जाने वाले घोषित माल के अभिग्रहण की तारीख को जुर्माना, जो उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदत्त करने का विकल्प दिया जायेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी घोषित माल के अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त करने या उसके निरीक्षण पर कलक्टर की राय है कि घोषित माल शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या लोकहित में ऐसा करना अन्यथा समीचीन है या जहां माल के स्वामी द्वारा ऐसा निवेदन किया गया है, वहां वह,-

(i) उसका विक्रय उस नियंत्रित कीमत पर, यदि कोई हो, किये जाने का आदेश दे सकेगा जो ऐसे घोषित माल के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गयी हो; या

(ii) जहां कोई ऐसी कीमत नियत नहीं की गयी है वहां लोक नीलाम द्वारा उसका विक्रय किये जाने का आदेश दे सकेगा,

(3) जहां किसी घोषित माल का विक्रय पूर्वोक्त रीति से किया जाता है तो उसके विक्रय आगम, किसी विक्रय या नीलाम के व्यय या उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक व्यय की कटौती करने के पश्चात्-

(क) जहां अधिहरण का कोई आदेश कलक्टर द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाता है, या

(ख) जहां धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन अपील में पारित किसी आदेश में ऐसी अपेक्षा की गयी है; या

(ग) जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिहरण का आदेश दिया गया है, संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत्त किये जायेंगे।

9. घोषित माल के अधिहरण से पूर्व हेतुक दर्शित करने की सूचना का दिया जाना.- (1) किसी घोषित माल का अधिहरण करने वाला कोई आदेश धारा 8 के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस घोषित माल, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण के स्वामी को या उस व्यक्ति को जिससे वह अभिग्रहीत की जाती है,-

(क) उन आधारों की, जिन पर उस घोषित माल, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण को अधिहृत किया जाना प्रस्तावित है, उसे जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना नहीं दे दी जाती;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध उसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो, लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे दिया जाता; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 8 के अधीन किसी पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण का अधिहरण करने वाला आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जब उस पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण का स्वामी कलक्टर को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि घोषित माल को ले जाने में उसका प्रयोग उस पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण के स्वामी या अभिकर्ता, यदि कोई हो, और भारसाधक व्यक्ति की जानकारी या

मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे प्रयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती थीं।

(3) यदि ऐसी सूचना देने में उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों का पर्याप्त रूप से पालन कर दिया गया है तो किसी घोषित माल, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण का अधिहरण करने वाला कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि उस खण्ड के अधीन दी गयी सूचना में कोई त्रुटि या अनियमितता है।

10. अपील.- (1) धारा 8 के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की अपने को संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपान्तरित या बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा वह ठीक समझे।

(2) जहां धारा 8 के अधीन हुआ कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा उपान्तरित या बातिल किया जाता है या जहां किसी ऐसे आदेश के, जिसकी बाबत अधिहरण का आदेश धारा 8 के अधीन किया गया है, उल्लंघन के लिए संस्थित अभियोजन में सम्बन्धित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है तथा दोनों में से किसी दशा में किसी कारण से यह सम्भव नहीं है कि अभिगृहीत घोषित माल लौटा दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, उनके लिए कीमत उस घोषित माल के अभिग्रहण के दिन से संगणित ब्याज सहित इस प्रकार संदत्त की जाएगी मानो सरकार को उस घोषित माल का विक्रय किया गया हो और ऐसी कीमत धारा 5 की उप-धारा (3) या, यथास्थिति, उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

11. अधिहरण के अधिनिर्णय का अन्य दण्डों में बाधा न करना.- कलक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिहरण का अधिनिर्णय किसी ऐसे दण्ड के दिए जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका कि उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी है।

12. कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन.- जब कभी कोई घोषित माल उसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिगृहीत किया जाता है या धारा 8 के अधीन अधिहरण के लम्बित रहने के दौरान, ऐसा कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र जिसमें ऐसा घोषित माल पाया जाता है, या ऐसा कोई पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण, जिसका ऐसे घोषित माल को ले जाने में प्रयोग किया गया है, अभिगृहीत किया जाता है, तब कलक्टर को या, यथास्थिति, धारा 10 के अधीन राज्य सरकार को ऐसा घोषित माल, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्माचन या वितरण के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को ऐसी अधिकारिता नहीं होगी।

13. शास्तियां.- (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा,-

(क) तो वह,-

(i) उस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, और

(ii) किसी अन्य आदेश की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा;

(ख) तो ऐसी सम्पत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जाएगी;

(ग) तो कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र जिसमें सम्पत्ति पाई गई हो और कोई पशु, यान, जलयान या अन्य प्रवहण जिसे माल को ले जाने में प्रयुक्त किया गया हो, न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिए जाएंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 5 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन निदेश दिया गया हो उस निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खंड (ii) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा तो, वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, छह मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए यह बात कि उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अधीन या उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध से जनसाधारण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि नहीं हुई है, तीन मास या, यथास्थिति, छह मास से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश देने का पर्याप्त और विशेष कारण होगी।

(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष हुआ कोई व्यक्ति, किसी घोषित माल की बाबत किसी आदेश के उल्लंघन के लिए उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष होता है वहां वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष किया जाए उस किसी शास्ति के अतिरिक्त, जो उस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित की जाए, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उस घोषित माल में छह मास से अन्यून ऐसी कालावधि तक, जैसी आदेश में न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कोई कारबार नहीं करेगा।

14. राज्य सरकार को कुछ रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति.- (1) जहां कोई व्यक्ति जो,-

(क) धारा 5 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी रकम का संदाय करने के लिए, या

(ख) किसी रकम को किसी खाते में या उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा या उसके अनुसरण में गठित निधि में जमा करने के लिए दायी है ऐसी सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग का संदाय करने में या उसे जमा करने में व्यतिक्रम करता है वहां ऐसी रकम जिसकी बाबत ऐसा व्यतिक्रम किया गया है राज्य सरकार द्वारा, ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से ऐसी रकम के वसूल किए जाने की तारीख तक, प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत की दर से उस पर संगणित साधारण ब्याज सहित, भू-राजस्व की बकाया या लोकमांग के रूप में वसूल की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वसूल की गई रकम को ऐसे आदेश के अनुसार बरता जाएगा जिसके अधीन ऐसी रकम का संदाय या जमा करने का दायित्व उत्पन्न हुआ था।

(3) यदि कोई आदेश, जिसके अनुसरण में कोई रकम राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन भू-राजस्व की बकाया या लोकमांग के रूप में वसूल की गई है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अविधिमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार उसके द्वारा इस प्रकार वसूल की गई रकम का प्रतिदाय, उस व्यक्ति को जिससे ऐसी रकम वसूल की गई थी, उसके वसूल किये जाने की तारीख से उस तारीख तक जिसको ऐसा प्रतिदाय किया जाता है, प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत की दर से उस पर संगणित साधारण ब्याज सहित करेगी।

15. प्रयत्न और दुष्प्रेरण.- ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जो धारा 5 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है।

16. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) यदि धारा 5 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

17. न्यायालय को अधिनियम के अधीन सिद्धदोष कम्पनियों के नाम, कारबार के स्थान आदि प्रकाशित करने की शक्ति.- (1) जब कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराई जाती है तब उस कम्पनी को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह उस कम्पनी का नाम और कारबार का स्थान, उल्लंघन का स्वरूप, वह बात कि कम्पनी उस प्रकार सिद्धदोष ठहराई गई है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, कम्पनी के खर्चे पर ऐसे समाचार पत्रों में या ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित कराये जैसी न्यायालय निदिष्ट करे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की अवधि अपील किए बिना समाप्त न हो गई हो या ऐसी अपील किए जाने पर निपटा न दी गई हो।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन के खर्च कम्पनी से इस प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो वे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कम्पनी" का वही अर्थ है जो धारा 16 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में है।

18. अपराधों का संज्ञान.- कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उस दशा के सिवाय नहीं करेगा जिसमें कि ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 में यथा परिभाषित लोक सेवक या कोई व्यथित व्यक्ति या कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम है, चाहे ऐसा व्यक्ति उस संगम का सदस्य हो या नहीं।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है।

19. सिविल न्यायालयों द्वारा व्यादेशों आदि का दिया जाना.- इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाए गए किसी आदेश के अधीन राज्य सरकार या किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य की बाबत राज्य सरकार या उस लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय तब तक कोई व्यादेश नहीं देगा या किसी अन्य अनुतोष के लिए आदेश नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यादेश या अनुतोष के लिए आवेदन की सूचना राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को न दे दी गई हो।

20. कार्रवाइयों के लिए संरक्षण.- (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा 5 के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जानी आशयित है।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे नुकसान के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा 5 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित हुआ हो या कारित होना संभाव्य हो।

21. लोक सेवकों का अभियोजन.- जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक है, किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो धारा 5 के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में उसके कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या किये जाने के लिये तात्पर्यित कार्य करने के दौरान उसके द्वारा किया गया अभिकथित है वहां कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि जमाखोरी और वैसे ही क्रियाकलापों द्वारा माल की कृत्रिम कमी सृजित की जाती है जिससे कि माल की कीमतें बढ़ें जो सामान्य जनता के लिए अहितकर है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के नाम से संसद की एक विधि है किन्तु यह केवल खाद्य पदार्थ, चारा, कपास, जूट और औद्योगिक नियंत्रण के ऐसे उत्पादों, जिन्हें संघ की संसद् द्वारा घोषित किया गया है, के साथ ही संव्यवहार करती है। यहां तक कि खाद्य पदार्थ की चीजें भी उपरोक्त अधिनियम के द्वारा पूर्ण रूप से समाविष्ट नहीं होती हैं।

बहुत से ऐसे माल हैं जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं और समुचित विनियमन के अभाव में, बेईमान व्यापारी और दलाल इस स्थिति का लाभ उठाते हैं और कृत्रिम कमी सृजित करके अपना अधिकतम फायदा उठाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) आज्ञा करते हैं कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार निदेशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।

उपरोक्त सांविधानिक आज्ञा और सामान्य अहित को देखते हुए कतिपय माल की कृत्रिम कमी और कीमतों में वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किये जाने वाले माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार और वाणिज्य के विनियमन के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए एक विधि अधिनियमित की जाये ताकि जमाखोरी, कालाबाजारी, कीमतों में वृद्धि और कृत्रिम कमी के अभिशाप को प्रभावी रूप से दबाया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।

अतविधेयक प्रस्तुत है। :

हेम सिंह भडाना,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को ऐसे माल, जिस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, की घोषणा करने और अधिसूचित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 5, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को किसी घोषित माल के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के संबंध में आदेश करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

हेम सिंह भडाना,
प्रभारी मंत्री।

Bill No. 5 of 2014

**THE RAJASTHAN GOODS (CONTROL OF PRODUCTION, SUPPLY,
DISTRIBUTION AND TRADE AND COMMERCE) BILL, 2014**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Bill No. 5 of 2014
(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS (CONTROL OF PRODUCTION, SUPPLY,
DISTRIBUTION AND TRADE AND COMMERCE) BILL, 2014**
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide, in the interest of the general public, for the control of the production, supply and distribution of, and trade and commerce in, certain goods.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods (Control of Production, Supply, Distribution and Trade and Commerce) Act, 2014.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Application.- This Act shall not apply-

- (a) to the essential commodities specified in the Schedule to the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955);
- (b) to the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;
- (c) to the products of any industry declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defence or for the prosecution of war; and
- (d) to the goods in respect of regulation and control of manufacture, sale, supply and distribution of which Parliament has power to make law by virtue of the entries of List I of the Seventh Schedule to the Constitution.

3. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Collector" includes an Additional Collector and such other officer, not below the rank of Sub-Divisional Officer, as may be authorised by the Collector to perform the functions and exercise the powers of the Collector under this Act;
- (b) "declared goods" means the goods declared under section 4;
- (c) "goods" includes all materials, commodities, and articles;
- (d) "notified order" means an order notified in the Official Gazette;
- (e) "order" includes a direction issued thereunder.

4. Declaration of goods.- (1) The State Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest and for reasons to be specified in the notification published in the Official Gazette, declare the goods to which the provisions of this Act shall apply.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the State Legislature and thereupon the provisions of sub-section (1) of section 26A of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply *mutatis mutandis* to such notification.

5. Powers to control production, supply, distribution, etc., of declared goods.- (1) If the State Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining or increasing supplies of any declared goods or for securing their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by order, provide for regulating or prohibiting the production, supply and distribution thereof and trade and commerce therein.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), an order made thereunder may provide -

(a) for regulating by licences, permits or otherwise the production or manufacture of any declared goods;

(b) for bringing under cultivation any waste or arable land, whether appurtenant to a building or not, for the growing thereon of food-crops generally or of specified food-crops, and for otherwise maintaining or increasing the cultivation of food-crops generally, or of specified food-crops;

(c) for controlling the price at which any declared goods may be bought or sold;

(d) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of, any declared goods;

(e) for prohibiting the withholding from sale of any declared goods ordinarily kept for sale;

(f) for requiring any person holding in stock, or engaged in the production, or in the business of buying or selling, of any declared goods,-

(i) to sell the whole or a specified part of the quantity held in stock or produced or received by him, or

(ii) in the case of any such goods which is likely to be produced or received by him, to sell the whole or a specified part of such goods when produced or received by him, to the State Government or to an officer or agent of the State Government or to a Corporation owned or controlled by the State Government or to such other person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order;

Explanation.- An order made under this clause in relation to food grains or edible oilseeds, may, having regard to the estimated production, in the concerned area, of such food grains and edible oilseeds, fix the quantity to be sold by the producers in such area may also fix, or provide for the fixation of, such quantity on a graded basis, having regard to the aggregate of the area held by, or under the cultivation of the producers;

(g) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to any declared goods which, in the opinion of the authority making the order, is, or, if unregulated, is likely to be, detrimental to the public interest;

(h) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matters;

(i) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution of, or trade and commerce in, any declared goods to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order;

(j) for the grant or issue of licences, permits or other documents, the charging of fees therefor, the deposit of such sum, if any, as may be specified in the order as security for the due performance of the conditions of any such licence, permit or other documents, the forfeiture of the sum so deposited or any part thereof for contravention of any such conditions, and the adjudication of such forfeiture by such authority as may be specified in the order;

(k) for any incidental and supplementary matters, including, in particular, the entry, search or examination of premises, aircrafts, vessels, vehicles or other conveyances and animals, and the seizure by a person authorised to make such entry, search or examination -

(i) of any articles in respect of which such person has reason to believe that a contravention of the order has been, is being, or is about to be, committed and any packages, coverings or receptacles in which such articles are found;

(ii) of any aircraft, vessel, vehicle or other conveyance or animal used in carrying such articles, if such person has reason to believe that such aircraft, vessel, vehicle or other conveyance or animal is liable to be forfeited under the provisions of this Act;

(iii) of any books of accounts and documents which in the opinion of such person, may be useful for, or relevant to, any proceeding under this Act and the person from whose custody such books of accounts or documents are seized shall be entitled to make copies thereof or to take extracts therefrom in the presence of

an officer having the custody of such books of accounts or documents.

(3) Where any person sells any declared goods in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub-section (2), there shall be paid to him the price therefor as hereinafter provided:-

(a) where the price can, consistently with the controlled price, if any, fixed under this section, be agreed upon, the agreed price;

(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to the controlled price, if any;

(c) where neither clause (a) nor clause (b) applies, the price calculated at the market rate prevailing in the locality at the date of sale.

(4) (i) If the State Government is of opinion that it is necessary so to do for controlling the rise in prices or preventing the hoarding, of any declared goods in any locality, it may, by notification in the Official Gazette, direct that notwithstanding anything contained in sub-section (3), the price at which the declared goods shall be sold in the locality in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub-section (2) shall be regulated in accordance with the provisions of this sub-section.

(ii) Any notification issued under this sub-section shall remain in force for such period not exceeding three months as may be specified in the notification.

(iii) Where, after the issue of a notification under this sub-section, any person sells declared goods of the kind specified therein and in the locality so specified, in compliance with an order made with reference to clause (f) of sub-section (2), there shall be paid to the seller as the price therefor, -

(a) where the price can, consistently with the controlled price of the declared goods, if any, fixed under this section, be agreed upon, the agreed price ;

(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to the controlled price, if any;

(c) where neither sub-clause (a) nor sub-clause (b) applies, the price determined under clause (iv).

(iv) For the purposes of sub-clause (c) of clause (iii), the market price shall be determined by an officer authorised by the State Government in this behalf, having regard to cost of production of the goods, tax or other statutory levies paid or payable in respect of the production of the goods and securing a reasonable return of the capital employed in the production of the goods.

(5) If the State Government is of opinion that it is necessary so to do for maintaining or increasing the production and supply of any declared goods, it may, by order, authorize any person (hereinafter referred to as an authorised controller) to exercise, with respect to the whole or any part of any such undertaking engaged in the production and supply of the declared goods as may be specified in the order such functions of control as may be provided therein

and so long as such order is in force with respect to any undertaking or part thereof, -

(a) the authorised controller shall exercise his functions in accordance with any instructions given to him by the State Government, so, however, that he shall not have any power to give any direction inconsistent with the provisions of any enactment or any instrument determining the functions of the persons in-charge of the management of the undertaking, except in so far as may be specifically provided by the order; and

(b) the undertaking or part shall be carried on in accordance with any directions given by the authorised controller under the provisions of the order, and any person having any functions of management in relation to the undertaking or part shall comply with any such directions.

(6) An order made under this section shall, -

(a) in the case of an order of a general nature or affecting a class of persons, be notified in the Official Gazette; and

(b) in the case of an order directed to a specified individual, be served on such individual, -

(i) by delivering or tendering it to that individual, or

(ii) if it cannot be so delivered or tendered, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual lives, and a written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighbourhood.

(7) Every order made under this section by the State Government or by any officer or authority of the State Government shall be laid before the House of the State Legislature, as soon as may be, after it is made and thereupon the provisions of sub-section (1) of section 26A of the Rajasthan General Clauses Act, 1955(Act No. 8 of 1955) shall apply *mutatis mutandis* to such order.

6. Delegation of powers.- The State Government may, by notified order, direct that the power to make orders or issue notification under section 5 shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also by such officer or authority subordinate to State Government as may be specified in the direction.

7. Effect of orders inconsistent with other enactments.- Any order made under section 5 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any Rajasthan Act other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

8. Confiscation of declared goods.- (1) Where any declared goods is seized in pursuance of an order made under section 5 in relation thereto, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made to the Collector of

the district in which such declared goods is seized and whether or not a prosecution is instituted for the contravention of such order, the Collector may, if he thinks it expedient so to do, direct the declared goods so seized to be produced for inspection before him, and if he is satisfied that there has been a contravention of the order may order confiscation of,-

- (a) the declared goods so seized;
- (b) any package, covering or receptacle in which such declared goods is found; and
- (c) any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such declared goods:

Provided that without prejudice to any action which may be taken under any other provision of this Act, no food grains or edible oilseeds in pursuance of an order made under section 5 in relation thereto from a producer shall, if the seized food grains or edible oilseeds have been produced by him, be confiscated under this section:

Provided further that in the case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay, in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the declared goods sought to be carried by such animal, vehicle, vessel or other conveyance.

(2) Where the Collector, on receiving a report of seizure or on inspection of any declared goods under sub-section (1), is of the opinion that the declared goods is subject to speedy and natural decay or it is otherwise expedient in the public interest so to do, or where the owner of the goods requests so, he may, -

- (i) order the same to be sold at the controlled price, if any, fixed for such declared goods under this Act or under any other law for the time being in force; or
- (ii) where no such price is fixed order the same to be sold by public auction.

(3) Where any declared goods is sold, as aforesaid, the sale proceeds thereof, after deduction of the expenses of any such sale or auction or other incidental expenses relating thereto, shall, -

- (a) where no order of confiscation is ultimately passed by the Collector, or
- (b) where an order passed on appeal under sub-section (1) of section 10 so requires, or
- (c) where in a prosecution instituted for the contravention of the order in respect of which an order of confiscation has been made under this section, the person concerned is acquitted,

be paid to the owner or the person from whom it is seized.

9. Issue of show-cause notice before confiscation of declared goods.- (1)

No order confiscating any declared goods shall be made under section 8 unless

the owner of such declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance, or the person from whom it is seized,-

(a) is given a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance;

(b) is given an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation; and

(c) is given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), no order confiscating any animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be made under section 8 if the owner of the animal, vehicle, vessel or other conveyance proves to the satisfaction of the Collector that it was used in carrying the declared goods without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the animal, vehicle, vessel or other conveyance and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use .

(3) No order confiscating any declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be invalid merely by reason of any defect or irregularity in the notice given under clause (a) of sub-section (1), if, in giving such notice, the provisions of that clause have been substantially complied with.

10. Appeal.- (1) Any person aggrieved by an order of confiscation under section 8 may, within one month from the date of the communication to him of such order, appeal to the State Government and the State Government shall, after giving an opportunity to the appellant to be heard, pass such order as it may think fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(2) Where an order under section 8 is modified or annulled by the State Government, or where in a prosecution instituted for the contravention of the order in respect of which an order of confiscation has been made under section 8, the person concerned is acquitted, and in either case it is not possible for any reason to return the declared goods seized, such person shall, except as provided by sub-section (3) of section 8, be paid the price therefor as if the declared goods, had been sold to the Government with reasonable interest calculated from the day of the seizure of the declared goods and such price shall be determined in accordance with the provisions of sub-section (3), or, as the case may be, sub-section (4), of section 5.

11. Award of confiscation not to interfere with other punishments.- The award of any confiscation under this Act by the Collector shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.

12. Bar of jurisdiction in certain cases.-Whenever any declared goods is seized in pursuance of an order made under section 5 in relation thereto, or any package, covering or receptacle in which such declared goods is found, or any

animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such declared goods is seized pending confiscation under section 8, the Collector or, as the case may be, the State Government under section 10 shall have and, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any court, tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make orders with regard to the possession, delivery, disposal, release or distribution of such declared goods, package, covering, receptacle, animal, vehicle, vessel or other conveyance.

13. Penalties.- (1) If any person contravenes any order made under section 5, -

(a) he shall be punishable, -

(i) in the case of an order made with reference to clause (h) or clause (i) of sub-section (2) of that section, with imprisonment for a term which may extend to three year and shall also be liable to fine, and

(ii) in the case of any other order, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months;

(b) any property in respect of which the order has been contravened shall be forfeited to the State Government;

(c) any package, covering or receptacle in which the property is found and any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying the goods shall, if the Court so orders, be forfeited to the State Government.

(2) If any person to whom a direction is given under clause (b) of sub-section (5) of section 5 fails to comply with the direction, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months.

(3) If any person convicted of an offence under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) or under sub-section (2) is again convicted of an offence under the same provision, he shall be punishable with imprisonment for the second and for every subsequent offence for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months.

(4) For the purposes of sub-sections (1), (2) and (3), the fact that an offence under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) or under sub-section (2) has caused no substantial harm to the general public or to any individual, shall be an adequate and special reason for awarding a sentence of imprisonment for a term of less than three months or six months, as the case may be.

(5) Where a person having been convicted of an offence under sub-section (1) is again convicted of an offence under that sub-section for contravention of an order in respect of any declared goods, the Court by which such person is convicted shall, in addition to any penalty which may be imposed on him under that sub-section, by order, direct that person shall not carry on any business in that declared goods for such period, not being less than six months, as may be specified by the Court in the order.

14. Power of the State Government to recover certain amounts as arrears of land revenue.- (1) Where any person, liable to -

(a) pay any amount in pursuance of any order made under section 5, or

(b) deposit any amount to the credit of any account or fund constituted by or in pursuance of any order made under that section, makes any default in paying or depositing the whole or any part of such amount, the amount in respect of which such default has been made shall be recoverable by the State Government together with simple interest due thereon computed at the rate fifteen per cent per annum from the date of such default to the date of recovery of such amount, as an arrears of land revenue or as a public demand.

(2) The amount recovered under sub-section (1) shall be dealt with in accordance with the order under which the liability to pay or deposit such amount arose.

(3) If any order, in pursuance of which any amount has been recovered by the State Government as an arrear of land revenue or as a public demand under sub-section (1) is declared by a competent court, after giving to the State Government a reasonable opportunity of being heard, to be invalid, the State Government shall refund the amount so recovered by it to the person from whom it was recovered, together with simple interest due thereon, computed at the rate of fifteen per cent per annum, from the date of recovery of such amount to the date on which such refund is made.

15. Attempts and abetment.- Any person who attempts to contravene, or abets contravention of, any order made under section 5 shall be deemed to have contravened that order.

16. Offences by companies.- (1) If the person contravening an order made under section 5 is a company, every person who, at the time the contravention was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section, -

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

17. Power of court to publish name, place of business, etc., of companies convicted under the Act.- (1) Where any company is convicted under this Act, it shall be competent for the court convicting the company to cause the name and place of business of the company, nature of the contravention, the fact that the company has been so convicted and such other particulars as the court may consider to be appropriate in the circumstances of the case, to be published at the expense of the company in such newspapers or in such other manner as the court may direct.

(2) No publication under sub-section (1) shall be made until the period for preferring an appeal against the order of the Court has expired without any appeal having been preferred, or such an appeal, having been preferred, has been disposed of.

(3) The expenses of any publication under sub-section (1) shall be recoverable from the company as if it were a fine imposed by the court.

Explanation.- For the purposes of this section, "company" has the meaning assigned to it in clause (a) of the explanation to section 16.

18. Cognizance of offences.- No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by a person who is a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) or any person aggrieved or any recognized consumer association, whether such person is a member of that association or not.

Explanation.- For the purposes of this section "recognised consumer association" means a voluntary consumer association registered as such under any law for the time being in force.

19. Grant of injunction, etc., by civil courts.- No civil court shall grant an injunction or make any order for any other relief, against the State Government or a public officer in respect of any act done or purporting to be done by the State Government, or such officer in his official capacity, under this Act or any

order made thereunder, until after notice of the application for such injunction or other relief has been given to the State Government or such officer.

20. Protection of actions.- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 5.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 5.

21. Prosecution of public servants.- Where any person who is a public servant is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his duty in pursuance of an order made under section 5, no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the State Government.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In recent past it has been noticed that artificial scarcity of goods is created by means of hoarding and similar activities, so as to hike prices of the goods to the detriment of general public. There is a law of Parliament namely, Essential Commodities Act, 1955 but it deals only with food stuff, fodder, cotton, jute and products of the industries control of which is declared by Parliament by the Union. Even the articles of food stuff are not covered by the aforesaid Act exhaustively.

There are many goods which are essential for economic and social development and in absence of proper regulation, unscrupulous traders and intermediaries take advantage of the situation and maximize their benefits by creating artificial scarcity.

Clauses (b) and (c) of Article 39 of the Constitution mandates that the State shall direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good and that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.

Having regard to the above Constitutional mandate and recent trends of creating artificial scarcity and hiking prices of certain goods to the common detriment, the State Government is of the considered view that a law should be enacted empowering the State Government to regulate production, supply, distribution, trade and commerce of goods to be declared by the State Government from time to time so that the menace of hoarding, black marketing, price hiking and artificial scarcity may be suppressed effectively.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेम सिंह भडाना,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to declare and notify the goods to which the provisions of this Act shall apply.

Clause 5 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make orders with respect to regulating or prohibiting the production, supply and distribution of any declared goods and trade and commerce therein.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

हेम सिंह भडाना,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide, in the interest of the general public, for the control of the production, supply and distribution of, and trade and commerce in, certain goods.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(HEM SINGH BHADANA, **Minister-Incharge**)